



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सोशल मीडिया युग में पारंपरिक से आधुनिक दबाव समूह: प्रभावशीलता, चुनौतियाँ एवं लोकतांत्रिक परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन

पवन कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची, 835222

Abstract

यह शोध आलेख बदलते लोकतांत्रिक परिधि में पारंपरिक दबाव समूहों जैसे जाति-धर्म आधारित अनौपचारिक एवं आधुनिक सोशल मीडिया दबाव समूहों की तुलनात्मक प्रभावशीलता का विश्लेषण प्रदान करता है। पारंपरिक समूह संकीर्ण, असंगठित एवं स्थानीय रहते हैं, जबकि सोशल मीडिया ने आधुनिक समूहों को वैश्विक पहुंच, शीघ्र संगठित होने के उपाय जैसे #MeToo, किसान आंदोलन इत्यादि एवं सत्ता को सीधी चुनौती प्रदान करने का प्रयास किया है। अरब वसंत, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे उदाहरणों से सिद्ध होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों तक आसानी से अपनी पहुंच बनाकर लोकतंत्र को गतिशील बनाते हैं। भारत के संदर्भ में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI), Greenpeace जैसी संगठनों की भूमिका उल्लेखनीय है।

कुंजीशब्द

दबाव समूह, सोशल मीडिया, लोकतांत्रिकरण, फेक न्यूज, संगठन

भूमिका

पारंपरिक दबाव समूह और आधुनिक दबाव समूह, विशेष रूप से सोशल मीडिया के प्रभाव के संदर्भ में, सत्ता पर अलग-अलग प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं। पारंपरिक दबाव समूह सामान्यतः जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय पहचान जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारों पर गठित होते चले आ रहे हैं। इनमें स्थायी नेतृत्व या औपचारिक संगठन संरचना की कमी होती है, और ये अधिकतर अनौपचारिक तथा स्थानीय स्तर पर प्रभावी होते हैं। ये समूह अपने समुदाय के संकीर्ण हितों की रक्षा करते हैं और पारंपरिक माध्यमों जैसे प्रदर्शन, याचिका या सामुदायिक दबाव के जरिए नीतिगत बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, इनका प्रभाव अक्सर सीमित होता है क्योंकि इनमें व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने और त्वरित व्यापक विस्तार के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके विपरीत, आधुनिक दबाव समूह पेशेवर एवं संगठित होते हैं, जिनमें स्पष्ट नेतृत्व, सदस्यता पंजीकरण, वित्तीय संसाधन, तथा डिजिटल एवं सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग शामिल है। सोशल मीडिया ने आधुनिक दबाव समूहों को सबसे बड़ा प्रभावशाली मंच दिया है, जहाँ वे तेजी से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़कर व्यापक विरोध या समर्थन जुटा सकते हैं। जैसे भारत में 2021 के किसान आंदोलन में सोशल मीडिया का अहम योगदान रहा, जिसमें लाखों लोगों ने ऑनलाइन सक्रिय होकर सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। सोशल मीडिया

के माध्यम से इन समूहों में तुरंत सूचना और आंदोलन का प्रसार किया जाता है, जो पारंपरिक समूहों की तुलना में अधिक तीव्र और व्यापक होता है। साथ ही यह वैश्विक स्तर पर भी अपनी आवाज़ पहुंचाने की ताकत रखता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समर्थन और दबाव उत्पन्न होता है। सोशल मीडिया की ताकत यह है कि यह न केवल सरकारों के पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि सार्वजनिक मुद्दों को तेजी से उजागर करता है, और यह मुद्दे जनता तक तेजी से पहुंचते हैं, जिससे सत्ता को सीधे चुनौती का सामना करना पड़ता है। वायरल वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, हैशटैग अभियान और डिजिटल याचिकाओं के जरिये जनता सरकार से जवाबदेही मांगती है। यह आधुनिक दबाव समूहों को लोकतंत्र के लिए मजबूत साधन बनाता है, जो पारंपरिक मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी और त्वरित होता है। कुल मिलाकर, सोशल मीडिया आधुनिक दबाव समूहों का शक्तिशाली माध्यम है जिसने सत्ता और समाज के बीच की दूरी कम कर दी है और लोकतांत्रिक भागीदारी को नई दिशा दी है।

उद्देश्य

1. पारंपरिक एवं आधुनिक (सोशल मीडिया आधारित) दबाव समूहों की तुलनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना: इस उद्देश्य के अंतर्गत पारंपरिक समूहों की संकीर्णता, असंगठित संरचना एवं स्थानीय सीमाओं की तुलना आधुनिक समूहों की डिजिटल पहुंच, त्वरित जुटाव (#MeToo, किसान आंदोलन) एवं वैश्विक प्रभाव से की जाएगी, साथ ही प्रभावशीलता के मापदंड स्थापित किए जाएंगे।
2. सोशल मीडिया दबाव समूहों की कमियों (फेक न्यूज, धुवीकरण) एवं लोकतांत्रिक प्रभाव का विश्लेषण करना: सोशल मीडिया की कमियों जैसे फेक न्यूज प्रसार, ट्रोलिंग, सेंसरशिप एवं एको चैंबर्स का परीक्षण कर इनके सत्ता पर सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव (अरब वसंत, ब्लैक लाइव्स मैटर) का मूल्यांकन किया जाएगा।

दबावसमूह

दबाव समूह वे संगठित या असंगठित समूह हैं जो अपने सदस्यों के विशिष्ट हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए सरकार, प्रशासन या नीति-निर्माताओं पर वैधानिक या अवैधानिक तरीकों से दबाव डालते हैं, बिना सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किए। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं लेते, बल्कि लॉबिंग, प्रदर्शन, हड़ताल या अनशन जैसे साधनों से प्रभावित करते हैं। वे संगठित या असंगठित हित-समूह हैं जो अपने सदस्यों के विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या पेशेवर हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए सरकार, प्रशासन, नीति-निर्माताओं या जनमत पर वैधानिक तथा अवैधानिक तरीकों से दबाव डालते हैं, बिना सत्ता प्राप्ति या शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी का प्रयास किए। राजनीतिक दलों से भिन्न, ये समूह चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि लॉबिंग, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन, प्रचार, पत्राचार, याचिका, सार्वजनिक बहस तथा संपर्क निर्माण जैसे साधनों से सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न पेशाओं, व्यवसायों या समुदायों से जुड़े लोग समान हितों के लिए संघ बनाते हैं, जैसे किसान मोर्चा, व्यापार मंडल, मजदूर संघ, कर्मचारी संगठन या नौकरशाही समूह। ये लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा हैं जो विविध हितों का प्रतिनिधित्व कर राजनीतिक जागरूकता बढ़ाते हैं, नीतियों में संतुलन लाते हैं तथा सरकार को जन-आकांक्षाओं से जोड़ते हैं। सामुदायिक (जाति-धर्म आधारित), संस्थागत (नौकरशाही), संघात्मक (व्यावसायिक) या प्रचारक प्रकार के होते हैं। हालांकि, ये कभी-कभी संकीर्ण हितों को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकते हैं। दबाव समूह सरकार और नागरिकों के बीच पुल का कार्य करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गतिशील बनाते हैं। उदाहरण: किसान संगठन, मजदूर संघ, व्यापार मंडल।

दबाव समूहों के प्रकारों की अगर बात की जाए तो राजनीति विज्ञान में अध्ययन की सुलभता तथा विचारकों के दृष्टिकोण के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है:-

1. **संस्थागत दबाव समूह (Institutional Pressure Groups)** : ये राज्य के औपचारिक संस्थानों जैसे संसद, सेना, नौकरशाही या सरकारी विभागों से जुड़े होते हैं। इनमें कर्मचारी संघ या अधिकारी समूह शामिल हैं जो आंतरिक प्रभाव से नीतियां प्रभावित करते हैं। उदाहरण: केंद्रीय कर्मचारी संघ।
 2. **एसोसिएशनल/संघात्मक दबाव समूह (Associational Pressure Groups)**: ये औपचारिक संगठन होते हैं जो विशिष्ट पेशे, व्यवसाय या हितों पर आधारित होते हैं। इनमें मजदूर संघ, व्यापार मंडल या किसान संगठन आते हैं। उदाहरण: FICCI, ASSOCHAM, भारतीय किसान संघ।
 3. **गैर-एसोसिएशनल/सामुदायिक दबाव समूह (Non-Associational/Communal Pressure Groups)** : ये अनौपचारिक होते हैं जो जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय पहचान पर आधारित होते हैं। इनमें कोई औपचारिक संरचना नहीं होती। उदाहरण: विभिन्न जाति संघ या धार्मिक समूह।
 4. **प्रचारक/अनोमिक दबाव समूह (Promotional/Anomic Pressure Groups)** : ये विशिष्ट मुद्दों जैसे पर्यावरण, मानवाधिकार इत्यादि पर प्रचार करते हैं या घटना-आधारित आंदोलन होते हैं। ये तात्कालिक और प्रदर्शनकारी होते हैं। उदाहरण: एनजीओ जैसे ग्रीनपीस या निर्भया आंदोलन।
- दबाव समूहों के प्रकारों की विशेषताएँ विभिन्न लेखकों द्वारा उद्देश्य, संरचना एवं प्रेरणा के आधार पर वर्गीकृत हैं। ब्लेंडल (Blondel) के अनुसार सामुदायिक दबाव समूह प्रथागत होते हैं, जो परंपराओं, रीति-रिवाजों एवं सामाजिक संबंधों पर आधारित अनौपचारिक होते हैं तथा जाति-धर्म से प्रेरित रहते हैं; जबकि संस्थागत सामुदायिक राज्य के औपचारिक तंत्र (नौकरशाही, सेना) से जुड़े आंतरिक प्रभाव वाले होते हैं। संघात्मक समूहों में संरक्षणात्मक प्रकार विशिष्ट हितों (व्यापार, श्रम) की रक्षा के लिए औपचारिक संगठित होते हैं, जबकि उत्थानात्मक नए मूल्यों (पर्यावरण, मानवाधिकार) का प्रचार करते हैं। आल्मंड-पॉवेल (Almond-Powell) के वर्गीकरण में संस्थागत दबाव समूह सरकारी संस्थाओं पर आधारित आंतरिक लॉबींग करते हैं; एसोसिएशनल औपचारिक पेशेवर संघ (FICCI, मजदूर यूनियन) हैं जो प्रदर्शनकारी होते हैं; गैर-एसोसिएशनल अनौपचारिक जातीय-धार्मिक समूह ढीली संरचना वाले होते हैं; तथा अनोमिक घटना-आधारित तात्कालिक प्रदर्शनकारी (निर्भया आंदोलन) असंवैधानिक तक हो सकते हैं। पॉटर (Potter) ने सेक्शनल (स्थायी हित) एवं काज (अल्पकालिक उद्देश्य) में विभाजित किया, जबकि आर.सी. बोन (R.C. Bone) ने परिस्थिति-जन्य (स्वार्थी) एवं अभिवृत्ति-जन्य (विचारधारा आधारित) बताए। ये विशेषताएँ दबाव समूहों को लोकतंत्र में विविधता प्रदान करती हैं।

पारंपरिक दबाव समूह

पारंपरिक दबाव समूह हम उन समूहों को कहते हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक आधारों पर गठित किए जाते हैं और जिनकी संरचना असंगठित, अनौपचारिक एवं मानवीय भावनाओं के लगावों पर आधारित होती है। भारत में पारंपरिक दबाव समूह जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर गठित किए जाते हैं, जैसे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, दलित महासभा, तमिल संघ इत्यादि। इन समूहों का प्रभाव हम मुख्यतः स्थानीय स्तर पर होता देख सकते हैं और ये अपने समुदाय या समूह के संकीर्ण और छोटे हितों की रक्षा करते हैं। इन स्थाई नेतृत्व और औपचारिकता की कमी होती है तथा कार्यप्रणाली अधिकतर पुराने एवं परंपरागत रीति-रिवाजों और सामाजिक दबावों पर निर्भर होती है। भारतीय सामाज में ऐसी राजनीतिक संरचना के समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि वे सामाजिक जागरूकता बढ़ाते हैं जो जातीय या धार्मिक समुदायों के हितों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनती हैं। हालांकि, इन समूहों की संकीर्णता कभी-कभी समाज में विभाजन और

सामाजिक एकता में बाधा बन जाती है जो इनके सीमित क्षेत्राधिकार को दिखाती है। पारंपरिक दबाव समूह ज्यादा लचीले नहीं होते, उनकी प्रतिक्रिया त्वरित या व्यापक नहीं होती, क्योंकि वे आधुनिक संचार माध्यमों का कम उपयोग करते हैं, जो इनके आधुनिकता और नवरचनात्मकता के लचरता को दिखाती है। इन दबाव समूहों का प्रभाव राष्ट्रीय नीति बनाने में सीमित हो सकता है, लेकिन वे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सरकार पर महत्वपूर्ण दबाव बनाने में समर्थ होते हैं जो इन प्रकार के समूहों की सकारात्मक पक्ष का एक हिस्सा है। भारतीय राजनीति में इनका स्थान देखते हुए, इनके बिना लोकतंत्र की समझ अधूरी है, क्योंकि ये जनता के विभिन्न वर्गों की आवाज उठाते हैं और सामाजिक न्याय की दिशा में काम करते हैं। कुल मिलाकर, पारंपरिक दबाव समूह भारतीय सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो आज भी अपने समुदायों के हितों के संवर्धन में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जिनमें विकेंद्रीकरण की दिशा को प्रोत्साहित करने के गुण परिलक्षित होते हैं।

पारंपरिक दबाव समूहों की विशेषता

ब्लेंडल (Blondel) के वर्गीकरण के अनुसार पारंपरिक या प्रथागत सामुदायिक दबाव समूह सामाजिक संबंधों, भावनात्मक लगावों एवं एक समान दृष्टिकोण के लक्षण होते हैं। इनकी उत्पत्ति औपचारिक संगठन से नहीं, बल्कि प्रथाओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों, रूढ़ियों एवं सांस्कृतिक बंधनों से होती है। ये समूह विकासशील समाजों में प्रचलित हैं जहाँ जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय पहचान सदस्यों को स्वाभाविक रूप से एकजुट करती है। इनकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं: प्रथम, अनौपचारिक संरचना—कोई स्थायी नेतृत्व या सदस्यता पंजीकरण नहीं होता, बल्कि सामुदायिक भावना से कार्य होता है। द्वितीय, स्थायित्व—ये विशिष्ट घटनाओं पर निर्भर नहीं, बल्कि सामाजिक जड़ों से दीर्घकालिक रहते हैं। तृतीय, प्रभाव के तरीके अनौपचारिक होते हैं जैसे सामुदायिक दबाव, सांस्कृतिक प्रचार, जातीय लॉबिंग या सामाजिक बहिष्कार, न कि प्रदर्शन या हड़ताल। चतुर्थ, संकीर्ण हित—ये समुदाय-विशेष के लाभ पर केंद्रित रहते हैं, जो कभी राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती दे सकते हैं। पंचम, भावनात्मक आधार—सदस्यता स्वेच्छा से भावुक लगाव पर टिकी होती है। उदाहरण: अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय दलित समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा या सनातन धर्म सभा। आलमंड के समर्थन से ब्लेंडल का यह वर्गीकरण गैर-एसोसिएशनल समूहों से मेल खाता है। ये लोकतंत्र में विविधता लाते हैं किंतु संकीर्णता के कारण आलोचना के पात्र हैं। आधुनिक संदर्भ में सोशल मीडिया इनकी पहुंच बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर, पारंपरिक दबाव समूह सामाजिक संरचना को राजनीतिक प्रभाव का माध्यम बनाते हैं।

पारंपरिक दबाव समूहों की सामान्य सीमाएँ एवं कमियाँ

पारंपरिक दबाव समूह, जो जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय पहचान पर आधारित अनौपचारिक समूह होते हैं, लोकतंत्र में विविधता लाते हैं किंतु अनेक सीमाओं से ग्रस्त हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं:

1. **संकीर्ण हितों की प्रवृत्ति:** ये समुदाय-विशेष के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। उदाहरणस्वरूप, जातीय संगठन नीतियों को पक्षपाती बना देते हैं तथा सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं, जो एकीकरण को चुनौती देता है।
2. **असंगठित एवं अनौपचारिक संरचना:** कोई स्थायी नेतृत्व, सदस्यता पंजीकरण या संगठनात्मक ढाँचा न होने से प्रभाव अल्पकालिक एवं असंगठित रहता है। निर्णय प्रक्रिया भावुकता एवं रीति-रिवाजों पर निर्भर रहती है, जो तर्कसंगत लॉबिंग या दीर्घकालिक रणनीति को बाधित करती है।

3. **आधुनिक तकनीक एवं माध्यमों से दूरी:** सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान या वैश्विक मंचों का न्यूनतम उपयोग होने से युवा पीढ़ी एवं व्यापक जनसमर्थन से वंचित रहते हैं। पारंपरिक तरीके जैसे सामुदायिक दबाव सीमित पहुंच वाले होते हैं।
4. **राजनीतिक दलों से अत्यधिक निकटता:** ये अक्सर दलगत राजनीति का औजार बन जाते हैं, जिससे स्वतंत्र दबाव समूह की भूमिका समाप्त हो जाती है तथा हितों का दुरुपयोग होता है।
5. **असमान प्रभावशीलता:** संसाधन-समृद्ध एसोसिएशनल समूहों की तुलना में कमजोर रहते हैं, जिससे नीति-निर्माण में हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं।
6. **लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा:** बहुसंख्यक हितों की उपेक्षा से सामाजिक न्याय प्रभावित होता है तथा विखंडन बढ़ता है।
7. **कानूनी मान्यता का अभाव:** अनौपचारिक होने से वैधानिक समर्थन न मिलने से प्रभाव सीमित रहता है। कुल मिलाकर, ये समूह सामाजिक जड़ों से जुड़े होते हैं किंतु संकीर्णता, असंगठितता एवं पुरातनपन से आधुनिक लोकतंत्र में उनकी प्रासंगिकता घट रही है।

आधुनिक दबाव समूह

आधुनिक दबाव समूह वे औपचारिक एवं संगठित समूह हैं जो विशिष्ट हितों जैसे व्यवसाय, श्रम, पर्यावरण, मानवाधिकार या महिला सशक्तिकरण की रक्षा एवं प्रचार के लिए बनाए जाते हैं। ये पारंपरिक समूहों से भिन्न हैं क्योंकि इनमें स्थायी नेतृत्व, सदस्यता पंजीकरण, कार्यालय, संसाधन एवं पेशेवर स्टाफ होता है। सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान, वायरल हैशटैग (#MeToo, #FridaysForFuture), ऑनलाइन याचिकाएँ एवं वैश्विक नेटवर्किंग का उपयोग कर ये लाखों लोगों को त्वरित रूप से जुटाते हैं तथा नीति-निर्माताओं पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरणस्वरूप, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) जैसे व्यावसायिक समूह आर्थिक नीतियों, कर सुधारों एवं व्यापार नियमों पर लॉबिंग करते हैं। पर्यावरण क्षेत्र में ग्रीनपीस या क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क सक्रिय हैं, जबकि श्रम संगठन जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) मजदूर अधिकारों के लिए हड़तालें एवं वार्ताएँ आयोजित करते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएँ औपचारिक संरचना, रणनीतिक तरीके (प्रदर्शन, संसदीय सुनवाई, मीडिया प्रचार, कानूनी कार्रवाई), व्यापक पहुंच एवं वैचारिक लचीलापन हैं। ये राजनीतिक दलों से अलग रहते हैं क्योंकि चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि सरकार को जन-आकांक्षाओं से जोड़ते हैं। भूमिका में नीतिगत सुधार, राजनीतिक जागरूकता वृद्धि, निरंकुशता रोकथाम एवं सामाजिक एकता प्रमुख हैं। भारत में किसान संगठन (2020-21 आंदोलन), महिला एनजीओ (निर्भया कैंपेन) एवं डिजिटल अभियान इनकी सफलता दर्शाते हैं। हालांकि, कभी संकीर्ण हित प्राथमिकता या विदेशी फंडिंग विवाद इनकी कमियाँ हैं। कुल मिलाकर, आधुनिक दबाव समूह लोकतंत्र को गतिशील एवं समावेशी बनाते हैं, जहाँ नागरिक समाज सरकार के साथ संवाद का माध्यम बनता है।

आधुनिक दबाव समूहों की विशेषता

1. **औपचारिक संगठन संरचना:** आधुनिक दबाव समूहों में स्थायी नेतृत्व, सदस्यता पंजीकरण, कार्यालय एवं पेशेवर स्टाफ होता है। ये FICCI, ASSOCHAM जैसे संगठनों के रूप में कार्य करते हैं जो व्यवस्थित ढंग से नीतियों पर प्रभाव डालते हैं।
2. **रणनीतिक प्रभाव के तरीके:** लॉबिंग, संसदीय सुनवाई, कानूनी कार्रवाई एवं प्रदर्शन का उपयोग। ये शोध-आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत कर नीति-निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण: Greenpeace की जलवायु रिपोर्ट।

3. **डिजिटल एवं सोशल मीडिया जुटाव:** वायरल हैशटैग (#MeToo, #FarmersProtest), ऑनलाइन याचिकाएँ एवं लाइव स्ट्रीमिंग से लाखों को जोड़ते हैं। त्वरित जागरूकता एवं वैश्विक समर्थन प्राप्त करते हैं।
4. **विशिष्ट एवं व्यापक उद्देश्य:** व्यवसाय (CII), श्रम (AITUC), पर्यावरण या मानवाधिकार जैसे स्पष्ट लक्ष्य। ये संरक्षणात्मक एवं उत्थानात्मक दोनों प्रकार के होते हैं।
5. **संसाधन समृद्धि:** वित्तीय फंडिंग, विशेषज्ञ स्टाफ एवं अनुसंधान क्षमता। ये मीडिया प्रचार एवं अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग करते हैं।
6. **राजनीतिक दलों से स्वतंत्रता:** चुनाव नहीं लड़ते, केवल नीतियों पर दबाव डालते हैं। हालांकि कभी गठबंधन करते हैं किंतु स्वायत्त रहते हैं।
7. **वैश्विक एवं स्थानीय पहुँच:** Amnesty International जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थानीय मुद्दों (किसान आंदोलन) को वैश्विक बनाते हैं।
8. **लोकतांत्रिक भागीदारी वृद्धि:** जन-आकांक्षाओं को सरकार तक पहुँचाते हैं, निरंकुशता रोकते हैं एवं नीतिगत सुधार लाते हैं।

आधुनिक दबाव समूह के रूप में सोशल मीडिया का प्रभाव :-

आधुनिक दबाव समूहों में सोशल मीडिया ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिसने ऑनलाइन माध्यमों से सरकारों और सत्ता केंद्रों को सीधे चुनौती देने का नया माध्यम प्रदान किया है। सोशल मीडिया की व्यापक पहुँच, त्वरित सूचना आदान-प्रदान और व्यापक जनसंपर्क के कारण आज लाखों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, जिससे पारंपरिक दबाव समूहों की तुलना में अधिक प्रभावशाली आंदोलन और दबाव समूह बनते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का उपयोग करके ये समूह वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों की नीतियों, कार्रवाईयों और अनियमितताओं के खिलाफ त्वरित और व्यापक विरोध प्रस्तुत करते हैं।

वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया दबाव समूहों के प्रभाव के उदाहरण

अरब वसंत (Arab Spring), 2010-2011

अरब वसंत की शुरुआत त्यूनीशिया से हुई थी, जहाँ सोशल मीडिया ने शासन विरोधी आंदोलनों को संगठित करने और व्यापक जनसंपर्क का माध्यम प्रदान किया। फेसबुक और ट्विटर के जरिए युवाओं और नागरिकों ने एकजुट होकर भ्रष्टाचार, तानाशाही और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ प्रदर्शन किये। ये डिजिटल क्रांति कई मध्य-पूर्वी देशों में शासन परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया को तेज करने में निर्णायक साबित हुई।

#MeToo आंदोलन (विश्वव्यापी, 2017 से)

#MeToo आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई, पर सोशल मीडिया के माध्यम से यह विश्वव्यापी आंदोलन बन गया जिसने यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों पर सरकारों और संस्थानों को सीधे चुनौती दी। कई देशों में कानूनी और सामाजिक सुधार के लिए दबाव बढ़ा, और इसने नेताओं, अभिनेताओं समेत उच्च पदस्थ लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित की।

लोकडाउन विरोध और भारत के किसान आंदोलन (2019-2021)

भारत में कोरोना लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया ने आम जनता और स्वास्थ्यकर्मियों को जोड़कर सरकार की स्वास्थ्य नीति पर सवाल उठाए। इसके बाद किसान आंदोलन में ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े और व्यापक समर्थन दिया। किसान आंदोलन ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर भी पहुँचाया।

ब्लैक लाइव्स मैटर (#BlackLivesMatter), अमेरिका, 2020

सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन पुलिस हिंसा और नस्ली भेदभाव के खिलाफ विश्वव्यापी विरोध बन गया। अमेरिका में वायरल हुए वीडियो में देखा गया जिसमें दो पुलिस वाले एक अश्वेत नागरिक को चोरी के आरोप में बर्बरता से पीटते हुए देखा गया जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी प्रशासन को नस्ली अन्याय के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन ने अमेरिका के बाहर भी नस्लीय न्याय की मांग को सशक्त किया।

हांगकांग लोकतंत्र आंदोलन, 2019

हांगकांग के युवा सोशल मीडिया और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए चीन की सत्तात्मक नीतियों के खिलाफ व्यापक वैश्विक समर्थन जुटाते रहे। ट्विटर, फेसबुक के जरिए विरोध के वीडियो तेजी से साझा हुए तथा वैश्विक नेतृत्व पर दबाव बढ़ा। सरकार के लिए यह चुनौती सीधी थी, जिसने कई विवादस्पद कानून वापस लिए।

सोशल मीडिया के प्रभाव के पहलू

त्वरित विस्तार और सूचना का लोकतंत्रीकरण: सोशल मीडिया ने सूचना प्रसार को त्वरित और व्यापक बनाया। आम जनता से लेकर वैश्विक समुदाय तक संदेश एक साथ पहुँचाने में मदद मिली। वास्तविक समय में संगठन और प्रदर्शन: बिना किसी औपचारिक संगठन के भी लोग सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को समेट सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन भारत में।

सत्ता के पारदर्शिता पर दबाव: डेटा, वीडियो और रिपोर्ट्स साझा कर सरकारों को जवाबदेही के लिए मजबूर किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय एकजुटता: वैश्विक स्तर पर समान मुद्दों पर समन्वय बढ़ता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय दबाव में वृद्धि होती है।

सोशल मीडिया ने आधुनिक दबाव समूहों को एक उपकरण मात्र नहीं, बल्कि शक्ति और चुनौती का सूत्रधार बना दिया है। सरकारें अब केवल क्षेत्रीय या पारंपरिक माध्यमों से नहीं, बल्कि डिजिटल और सामाजिक प्लेटफॉर्म के खुलासे, उपद्रव और विरोध का सामना कर रही हैं। वैश्विक और भारतीय घटनाएं दिखाती हैं कि ये दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत करने, जनता की आवाज़ सुनने और सत्ता को जवाबदेह बनाने में कितने महत्वपूर्ण हैं। सोशल मीडिया के द्वारा शक्ति केंद्रों को पहली बार इतनी सीधी, व्यापक और त्वरित चुनौती मिली है, जो भविष्य में लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगी।

आधुनिक दबाव समूह के रूप में सोशल मीडिया की प्रमुख कमियाँ :-

फेक न्यूज एवं गलत सूचना का प्रसार: सोशल मीडिया पर अफवाहें, एडिटेड वीडियो और फर्जी खबरें तेजी से वायरल होती हैं, जिससे दबाव समूहों के आंदोलन भ्रमपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण: किसान आंदोलन में गलत आंकड़े फैलने से विश्वसनीयता घटी। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ता है।

समूह ध्रुवीकरण (Echo Chambers): एल्गोरिदम समान विचारों वाले लोगों को जोड़ते हैं, जिससे कट्टरता बढ़ती है। दबाव समूह संवाद के बजाय विभाजन पैदा करते हैं, जैसे #MeToo में अतिवादी प्रतिक्रियाएँ।

ट्रोलिंग एवं साइबरबुलिंग: विरोधियों पर ऑनलाइन हमले, धमकियाँ और उत्पीड़न से आंदोलन हिंसक हो जाते हैं। भारत में किसान आंदोलन के दौरान समर्थकों पर ट्रोलिंग बढ़ी, जिससे एकता कमजोर हुई।

नियंत्रण एवं सेंसरशिप की समस्या: प्लेटफॉर्म (ट्विटर, फेसबुक) द्वारा सामग्री हटाए जाते हैं, जिससे दबाव समूहों की आवाज़ दब जाती है। विभिन्न सरकारों के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ लिखे गए सामग्रियों को प्रतिबंधित करना जिससे किसी की अभिव्यक्ति में कमी आती है।

गोपनीयता एवं डेटा दुरुपयोग: उपयोगकर्ता डेटा का हेरफेर कर समूह विदेशी शक्तियों या कॉर्पोरेट्स द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। फंडिंग विवाद (FCRA उल्लंघन) से विश्वसनीयता घटती है।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया जो समकालीन समय की मांग है उसके साथ बाकी पर्यावरण को जोड़ते हुए सोशल मीडिया ने आधुनिक दबाव समूहों को पारंपरिक समूहों से कहीं अधिक प्रभावी बना दिया है। पारंपरिक समूहों की संकीर्णता एवं असंगठितता के विपरीत, समकालीन आधुनिक समय में सोशल मीडिया ने #MeToo, किसान आंदोलन, अरबस्प्रिंग जैसे आंदोलनों के माध्यम से त्वरित वैश्विक जुटाव एवं सत्ता को सीधी चुनौती प्रदान की है। FICCI, Greenpeace जैसे संगठनों ने डिजिटल रणनीतियों से नीतिगत सुधार सुनिश्चित किए। हालांकि, फेक न्यूज, ध्रुवीकरण, ट्रोलिंग एवं सेंसरशिप जैसी कमियाँ लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। निष्कर्षतः, सोशल मीडिया दबाव समूहों को लोकतंत्र का गतिशील इंजन बनाता है, किंतु नियमन, फैक्ट-चेकिंग एवं डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। संतुलित उपयोग से ये समूह जन-आकांक्षाओं को सशक्त बनाएंगे, अन्यथा विभाजनकारी शक्ति सिद्ध होंगे। भविष्य में नियोजित डिजिटल सक्रियता लोकतांत्रिक परिपक्वता का आधार बनेगी।

संदर्भ सूची

9. Austin, G. (1999). *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Oxford University Press.
10. Barua, I. (1990). *Pressure groups in Assam*. Omsons Publications.
11. Dash, R. K. (2024). *Pressure group politics and student political associations*. Aayu Publication.
12. Fadia, B. (1980). *Pressure groups in Indian politics*. Radiant Publishers.
13. Gena, C. B. (2015). *Tulnatmak rajniti evam rajnitik sansthaein* Vikas Publishing House Private Limited. 872– 921.
14. Joshi, P., & Joshi, S. K. (2025). The Effectiveness of Pressure Groups in Promoting Social Justice and Equality. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 12(02), 970–984.
15. Kyarakoppa, P. H. (2023). Critical Analysis of Pressure Groups in Indian Politics. *Vivek Recherche-journal*, VII(1), 1–11.
16. Misquitta, L. P. (1991). *Pressure groups and democracy in India*. Sterling Publishers Pvt. Ltd.
17. Narayan, J. (2016). Pressure Groups and Democratic Governance – An Indian Perspective. *Indian Journal of Public Administration*, July–Sept 2015 Issue.
18. Saini, B. L., Sharma, V. K., & Kumar, S. (2024). A Role of Pressure Group in Vision India@2047. *Research Review International Journal of Multidisciplinary*, 9(4), 23–31. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n04.004>

19. Shreyaskar, P. K. P., Pandey, M., & Pathak, P. (2021). Influence of Interest Group Lobbying in India: Case for the Washington Style Business of Persuasion. *Prabandhan: Indian Journal of Management*, 14(5-7), 8–21. <https://doi.org/10.17010/pijom/2021/v14i5-7/164687>
20. Srivastava, B. K. (1979). *Pressure politics in India: Concept & behaviour*. Progress Publishers.

